भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3071

15 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात नीति

3071. श्रीमती मेनका संजय गाँधी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात उद्योग को दिए गए/दिए जा रहे तथा राष्ट्रीय इस्पात नीति में शामिल किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस्पात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेजों की घोषणा करने तथा व्यापार करने को सुगम बनाने के तौर पर इसके निर्यात में से बाधाओं को दूर करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ग): राष्ट्रीय इस्पात नीति में इस्पात क्षेत्र को गति प्रदान किए जाने का सरकार का दीर्घावधि विज़न निहित है। इस नीति में प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत तथा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी ऐसे इस्पात उद्योग के सृजन की परिकल्पना की गई है, जिससे आर्थिक विकास के साथ-साथ इस्पात उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता हो। इस्पात के एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण, सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए समर्थकारी वातावरण सृजित करके एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाती है। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय निम्नानुसार हैं:

i. स्वदेशी रूप से उत्पादित इस्पात के उत्पादन तथा खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी रूप से विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति ।
ii. स्वदेशी रूप से उत्पन्न होने वाले स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से इस्पात स्क्रैप नीति।
iii. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण तथा आयात को रोकने के उद्देश्य से इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को जारी करना।
iv. इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।

v. उद्योग संघों तथा स्वदेशी इस्पात उद्योग के नेतृत्वकर्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा ताकि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निपटाई जाने हेतु उनकी अपेक्षित समस्याओं की पहचान की जा सके।

vi. देश में इस्पात की समग्र माँग को बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैर, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों के मंत्रालय/विभाग सहित संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा।

vii. सरकार द्वारा हाल ही में घोषित उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के अंतर्गत 'विशेषीकृत इस्पात' को शामिल किया जाना।

viii. निर्यातित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धा में सुधार के उद्देश्य से निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त इनपुट पर लगने वाले करों अथवा प्रभारों की पुनर्अदायगी अथवा छुट के लिए समय-समय पर अधिसूचित होने वाली विभिन्न योजनाएं यथा- शुल्क प्रतिदाय योजना एवं अग्रिम प्राधिकार योजना आदि।

****